



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275614
CG-DL-E-20082026-275614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 228]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

रिमांड कार्यवाही अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

मामला सं.: एडी/एए/002/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित “अर्ध-निर्मित नेत्र संबंधी लेंस” के आयात से संबंधित डंपिंगरोधी जांच में प्रत्येक्षण कार्यवाही।

एफ.सं. 6/6/2021-डीजीटीआर.— 1.माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टैट) ने जीकेबी ऑप्टैल्मिक्स लिमिटेड बनाम प्राधिकृत अधिकारी एवं अन्य के मामले में, जो चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित “अर्ध-निर्मित नेत्र संबंधी लेंस” के आयात से संबंधित डंपिंगरोधी शुल्क से संबंधित है, अपने दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50782/2026 के माध्यम से दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम निष्कर्षों, को उस सीमा तक अपास्त कर दिया है जहाँ तक सहभागी निर्यातकों, अर्थात् (i) कोनेंट ऑप्टिक्स (जियांगसू) कं., लिमिटेड, (ii) शंघाई कोनेंट ऑप्टिक्स कं., लिमिटेड, (iii) झेजियांग वेइशिंग ऑप्टिकल कं., लिमिटेड, (iv) कार्ल जीस विजन (चाइना) लिमिटेड, तथा (v) डेजियन डेम्युंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं., लिमिटेड, पर शून्य डंपिंगरोधी शुल्क की सिफारिश/अधिरोपण

6325 GI/2026 (1)

किया गया था। माननीय न्यायाधिकरण ने इस मामले को गैर-अपकारी मूल्य (एनआईपी) के नए सिरे से निर्धारण हेतु नामित प्राधिकारी को प्रत्येषित कर दिया है, तथा जीकेबी ऑप्टैलिम्स लिमिटेड (घरेलू उद्योग/अपीलार्थी) को एनआईपी के निर्धारण की रीति पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है।

2. चूंकि गैर-अपकारी मूल्य के निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर पुनर्विचार हेतु यह मामला प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येषित कर दिया गया है, अतः प्राधिकारी ने माननीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त समझे गए प्रक्रम से प्रत्येषण कार्यवाही आरंभ कर दी है। प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत जानकारी की नए सिरे से जांच करेगा तथा डंपिंगरोधी नियमों के उपबंधों के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षों को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। प्राधिकारी गैर-अपकारी मूल्य का विधि के अनुसार नए सिरे से निर्धारण करने हेतु अग्रसर होगा।

3. सभी हितबद्ध पक्षों से अपेक्षित है कि वे सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करें। हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सभी संप्रेषण एवं अभ्यावेदन उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला सं: एडी/एए/002/2026 (AD/AA/002/2026) के अंतर्गत SETU पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभ्यावेदन का वर्णनात्मक भाग खोजने-योग्य (सर्चेबल) पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों। सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे SETU प्लेटफॉर्म पर अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से **15 दिनों के भीतर** अपने सभी सुझाव/प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।

4. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी इस आरंभन अधिसूचना, डंपिंगरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्रपत्र एवं रीति में, इस अधिसूचना में विहित समयसीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्ष से अपेक्षित है कि वह उसका गैर-गोपनीय संस्करण अन्य पक्षों को उपलब्ध कराए।

6. हितबद्ध पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे विषयगत जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने तथा समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में सूचित बने रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से जाएँ।

7. किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा सूचना तक पहुँच से इनकार किए जाने अथवा अन्यथा किसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान न किए जाने, अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डाले जाने की स्थिति में, प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और केंद्र सरकार से ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उपयुक्त समझी जाएँ।

अमिताभ कुमार, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

REMAND PROCEEDING NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

Case ID: AD/AA/002/2026

Subject: Remand Proceeding in the anti-dumping investigation concerning imports of "Semi-Finished Ophthalmic Lens" originating in or exported from China PR.

F.No. 6/6/2021-DGTR.— 1. The Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), vide Final Order No. 50782/2026 dated 27th April 2026 in the matter of GKB Ophthalmics Limited V/s Designated Authority & Ors., concerning anti-dumping duty relating to imports of "Semi-Finished Ophthalmic Lenses" originating in or exported from China PR, has set aside the Final Findings dated 29th September 2022, to the extent nil anti-dumping duty was recommended/imposed on the participating exporters, namely, (i) Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd., (ii) Shanghai Conant Optics Co., Ltd., (iii) Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd., (iv) Carl Zeiss Vision (China) Limited, and (v) Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd. The Hon'ble Tribunal has remanded the matter back to the Designated Authority for fresh determination of the Non-Injurious Price (NIP), after affording GKB Ophthalmics Limited (the domestic industry/appellant) a reasonable opportunity to submit its response on the manner in which the NIP has been determined.

2. Since the matter has been remanded back to the Designated Authority for reconsideration of the issue relating to determination of the Non-Injurious Price, the Authority has taken up the remand proceedings from the stage considered appropriate in light of the observations made by the Hon'ble Tribunal. The Authority shall undertake fresh examination of the relevant information on record and provide an opportunity to all interested parties to present their submissions in accordance with the provisions of the Anti-Dumping Rules. The Authority shall proceed to determine the Non-Injurious Price afresh in accordance with law.

3. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- AD/AA/002/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format. All interested parties are requested to make all submissions within fifteen days from the date of publishing of notification in the SETU platform.

4. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority, within the time limits prescribed in this notification.

5. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

6. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at (www.dgtr.gov.in) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time.

7. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority